

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ भागा, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/पोर/चू.प- 28

दिनांक:

सेवा में : टाटा केमीकल्स लिमिटेड

Ranavav quarries

P.O - Ranavav, Dist. - Porbandar (GUJ.) 360 550

विषय: गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले की राणावाव तालुका में स्थित आपकी अनियाली चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 16.21 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग/एम.सी.डी.आर निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.11.2022 को श्री मयंक श्रीवास्तव, खान प्रबन्धक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियम का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-209/2019-MDRD(N)GNR दिनांक 18.03.2019 के द्वारा अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3.5 के अनुसार वर्ष 2021-22 में खान के पर्यावरण सुधार हेतु लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए 830 मी. Fencing लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि 800 मी. Fencing ही लगाई गई है।

०२. In this connection, it is brought to your kind notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 62 of MCDR 2017.

- ३. Mining operations can be suspended as per rule 11(2) in case of non-compliance of rule 11(1), and any other relevant rules of MCDR 2017 as these rules also affect/ ensures systematic scientific and responsible mining and/or state Government may be informed to take actions as per competent directives.
- ४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय



(मनीष गुप्ता)

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

\

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो